कार्यालय प्रमुख आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर,
48 , प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल

फा.सं.IV(16)06/ST/Misc/Tech/BPL/15-16 330 दिनांक–11.01.2016

व्यापार सूचना कं.02/20015–16–ST
दिनांक–11.01.2016

विषय :– बीज परीक्षण पर दिनांक 01.07.2012 से लगाए जाने वाले सेवाकर पर स्पष्टिकरण बाबत्।

1.1)व्यापार उद्योग एवं अन्य सभी प्रतिष्ठानों का ध्यान बोर्ड के परिपत्र कं 189/8 / 2015 सेवाकर के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है– जो कि वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है।

1.2)बोर्ड की जानकारी में यह बात आयी है कि कुछ क्षेत्रीय निर्माण इस बात को मानते है कि बीज परीक्षण से संबंधित सभी गतिविधियाँ सेवाकर योग्य होती है और केवल वास्तविक परीक्षण से जुड़ी हुई गतिविधि ही निषेधात्मक सूची से छूटी हुई है।

2.1) मामले की जाँच–पड़ताल की गई। इस संबंध में, वित्त अधिनियम 1994 के अनुभाग 66(डी) के खण्ड 'डी' के अनुसार निषेधात्मक सूची इस प्रकार है:–

''(घ)'' कृषि अथवा कृषि उत्पादन से संबंधित सेवाओं के रूप में।
(i) किसी भी प्रकार के कृषि उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुडे हुए कृषि प्रचालन (संचालन) जैसे खेती, फसल की कटाई, छटाई, फसल संरक्षण अथवा परीक्षण।

2.2) ''कृषि'' शब्द की अनुभाग 65 खंड(3) के अन्तर्गत यह परिभाषा है :–

(3) ''कृषि'' का अर्थ है पेड़ पौधों की खेती एवं सभी प्रकार के जीव एवं पशु पालन जिसमें भोजन, रेशा, ईधन, कच्चे माल, घोडा पालन अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा।

2.3) ''कृषि उत्पादन''शब्द की अनुभाग 65बी खंड (5) के अंतर्गत यह परिभाषा है:–

(5) ''कृषि उत्पादन'' का अर्थ है कृषि का कोई भी उत्पादन जिसमें या तो आगे कोई प्रसंस्कृण न किया गया हो या फिर कृषक अथवा उत्पादक द्वारा इस प्रकार से प्रसंस्कृण किया गया हो कि उत्पाद कीं अनवार्य विशेषताओं में बदलाव न लाते हुए उसे प्राथमिक बाजार में बेचे जाने योग्य रखा जाए।

2.4) इसमें कोई संशय नहीं कि बीज कृषि उत्पादन की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। कृषि प्रचालन के द्वारा कृषि से जुड़ी हुई समस्त सेवाएँ जो कि कृषि उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हो और जिसके अंतर्गत परीक्षण भी आता है।